FORM NO III

फर्द अहकाम

5/7/19

17-9-19

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. घीसा पुत्र स्व0 काना जाति कुम्हार निवासी ग्राम अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

वादी

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नि स्व0 मोडू जाति कुम्हार निवासी ग्राम अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगै0

प्रतिवादीगण

2020/00262

किस्म मुकदमा – 88, 188 रा0का0अधि0 एवं धारा 136 रा.भू.रा0 अधिनियम

नंबर 75 / 2019

ऑन लाईन नंबर 2019 / 00075

वकील वादी श्री रामदेव गुर्जर वकील प्रतिवादीगण गणेश प्रजापत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08.04.2019	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0अधि0 एवं धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 16/5/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
16/5/19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप0 प्रति स. 2 कि ओर से श्री गणेश जी प्रजापत द्वारा वकालतनामा व 1,3,4,5 कि ओर से U.T पेश कर आगामी तारीख पर वकालतनामा व जवाब पेश करने का निवेदन किया गया। P.O सा0 आज अवकाश पर पधारे अत: पत्रावली दि. 5/7/19 को पेश हो।	UT for Respondent 1,3,4,5 गणेश प्रजापत

11 8/?? पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.

....भारत: जवाब हेतु

पत्रावली दिनांक ..../.... को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

राजू कुम्हार

26/9/?? पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.

....मौका रिपोर्ट हेतु....

पत्रावली दिनांक 2/11/?? को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

मौका रिपोर्ट प्राप्त

7/11/?? पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। राजू कुम्हार
प्रति० संख्या 12 तहसीलदार का जवाब पेश
होकर शामिल मिसल पत्रावली किया गया।
वादी अधिवक्ता द्वारा वादी संख्या 2 समानकर्ता
का आदेश 18 R04 CPC वास्ते माफिक सत
शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल
मिसल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते
अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21/11/?? को
पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.

....

....

पत्रावली दिनांक .... को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

21/11/?? पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारण उप.।
तहसील मौका रिपोर्ट प्राप्त। वास्ते
..बहस हेतु..........
पत्रावली दिनांक 28/11/?? को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

28/11/?? पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप०। पत्रावली
वास्ते बहस हेतु दिनांक 19/12/?? को पेश हो।

19/12/?? पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप०। बहस सुनी
गई। वादी का वाद [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली
[illegible] होकर [illegible]

• प्राथमिक डिक्री •

(आर्डर 20 रूल्स 06–07 जाप्ता दीवानी)

(civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 254/2020 उनवान घीसा **बनाम** प्रभाती

1. घीसा पुत्र स्व० काना उम्र करीबन 72 वर्ष(फौत)
   1/1 ग्यारसी देवी पत्नि घीसा
   1/2 देवनारायण पुत्र घीसा
   1/3 ओमप्रकाश पुत्र घीसा
   1/4 धर्मराज पुत्र घीसा
   1/5 धनराज पुत्र घीसा
   1/6 नैराज पुत्री घीसा
   जाति कुम्हार सर्वनिवासी अराई तह0 अराई
2. रामस्वरूप पुत्र स्व० काना उम्र करीबन 70 वर्ष
3. रामदेव पुत्र स्व० काना उम्र करीबन 58 वर्ष
4. गंगादेवी पत्नि स्व० देवीलाल उम्र करीबन 70 वर्ष
5. राजू पुत्र स्व० देवीलाल उम्र करीबन 42 वर्ष
6. महावीर पुत्र स्व० देवीलाल उम्र करीबन 40 वर्ष सर्व जाति कुम्हार सर्व निवासीगण ग्राम अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।
7. शान्ति देवी पुत्री स्व० देवीलाल पत्नि सोभाग उम्र 38 वर्ष जाति कुम्हार दीमा निवासी सांवतसर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
8. सन्तोष देवी पुत्री स्व० देवीलाल पत्नि श्रवण जाति कुम्हार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सिनोदिया ग्राम पंचायत गागरडु तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
9. धनराज पुत्र स्व० माता गणेशी पुत्री स्व० देवीलाल पत्नि हरलाल जाति कुम्हार उम्र 26 वर्ष निवासी माण्डियावड़ कलां तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

वादी

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नि स्व० मोडू (फौत)
2. सत्यनारायण पुत्र स्व० मोडू
3. शंकर पुत्र स्व० मोडू
4. ताराचन्द पुत्र स्व० मोडू

सर्व जाति कुम्हार सर्व निवासीगण ग्राम अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

5. नाथी पुत्री मोडू पत्नि छोटू जाति कुम्हार निवासी अंराई हाल निवासी ग्राम बनेवडि तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
6. औमप्रकाश पुत्र सुरजकरण
7. सोनू पुत्र औमप्रकाश
8. मोनू पुत्र औमप्रकाश
9. पूजा पुत्री औमप्रकाश
10. आरती पुत्री औमप्रकाश ना.बा. जरिये सरक्षक पिता औमप्रकाश
11. गौरू पुत्र औमप्रकाश ना.बा. जरिये सरक्षक पिता औमप्रकाश सर्व जाति कुम्हार सर्व निवासीगण ग्राम नसीराबाद, रामदेव जी का चौक कुम्हारो का मौहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान।
12. श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
13. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

14. किशना पुत्र स्व० काना जाति कुम्हार निवासी प्रजापति वाटर सप्लायर्स गरीब नवाज मार्केट के पिछे, वार्ड नम्बर 09 मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

औपचारिक प्रतिवादी

डिकी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,राज0काश्तकार अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राज.का. अधि. 1955•

उपस्थित वकील वादी दौराने बहस   निर्णय दिनांक 19/12/25

• आदेश •

वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद, दस्तावेजात, वकील वादी की बहस के उपरान्त तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 4 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही के क्रम में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.का.अधि. 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा **अतः** पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम अराई, पटवार हल्का अराइ, तहसील अराई में खसरा नं0 2826 रकबा 18.8416 हैक्टैयर, में सहवन से दर्ज मोडू पुत्र छोटू जाति कुम्हार का 1/16 हिस्सा उनके वारिसान ताराचन्द पुत्र मोडू, नाथी पुत्री मोडू, प्रमाती पुत्री मोडू, रामकन्या पुत्री मोडू, शंकर पुत्र मोडू, सत्यनारायण पुत्र मोडू, का सम्पूर्ण हिस्सा विलोपित होकर काना पुत्र छोटू जाति कुम्हार के विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया जाने के आदेश किये जाते है । तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तथा वाद को अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

असप्त मेरे दस्तखत व अदालत मुहर के आज दिनांक 19/12/25........ को जारी की गई ।

नीतू मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)

व इजलास श्रीमति नीतू मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 254/2020 **उनवान** घीसा वगैरह **बनाम** प्रभाती वगैरह

1. घीसा पुत्र स्व० काना उम्र करीबन 72 वर्ष(फौत)
   1/1 ग्यारसी देवी पत्नि घीसा
   1/2 देवनारायण पुत्र घीसा
   1/3 ओमप्रकाश पुत्र घीसा
   1/4 धर्मराज पुत्र घीसा
   1/5 धनराज पुत्र घीसा
   1/6 नेराज पुत्री घीसा
   जाति कुम्हार सर्वनिवासी अराई तह० अराई
2. रामस्वरूप पुत्र स्व० काना उम्र करीबन 70 वर्ष
3. रामदेव पुत्र स्व० काना उम्र करीबन 58 वर्ष
4. गंगादेवी पत्नि स्व० देवीलाल उम्र करीबन 70 वर्ष
5. राजू पुत्र स्व० देवीलाल उम्र करीबन 42 वर्ष
6. महावीर पुत्र स्व० देवीलाल उम्र करीबन 40 वर्ष सर्व जाति कुम्हार सर्व निवासीगण ग्राम अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।
7. शान्ति देवी पुत्री स्व० देवीलाल पत्नि सोभाग उम्र 38 वर्ष जाति कुम्हार दीमा निवासी सांवतसर तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
8. सन्तोष देवी पुत्री स्व० देवीलाल पत्नि श्रवण जाति कुम्हार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सिनोदिया ग्राम पंचायत गागरडु तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।
9. धनराज पुत्र स्व० माता गणेशी पुत्री स्व० देवीलाल पत्नि हरलाल जाति कुम्हार उम्र 26 वर्ष निवासी माण्डियावड़ कलां तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

वादी

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नि स्व० मोड़ू (फौत)
2. सत्यनारायण पुत्र स्व० मोड़ू
3. शंकर पुत्र स्व० मोड़ू
4. ताराचन्द पुत्र स्व० मोड़ू

सर्व जाति कुम्हार सर्व निवासीगण ग्राम अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान ।

5. नाथी पुत्री मोड़ू पत्नि छोटू जाति कुम्हार निवासी अंराई हाल निवासी ग्राम बनेवडि तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
6. औमप्रकाश पुत्र सुरजकरण
7. सोनू पुत्र औमप्रकाश
8. मोनू पुत्र औमप्रकाश
9. पूजा पुत्री औमप्रकाश
10. आरती पुत्री औमप्रकाश ना.बा. जरिये सरक्षक पिता औमप्रकाश
11. गौरू पुत्र औमप्रकाश ना.बा. जरिये सरक्षक पिता औमप्रकाश सर्व जाति कुम्हार सर्व निवासीगण ग्राम नसीराबाद, रामदेव जी का चौक कुम्हारो का मौहल्ला, नसीराबाद जिला अजमेर राजस्थान।
12. श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील अंराई जिला अजमेर राजस्थान।
13. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

14. किशना पुत्र स्व० काना जाति कुम्हार निवासी प्रजापति वाटर सप्लायर्स गरीब नवाज मार्केट के पिछे, वार्ड नम्बर 09 मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

औपचारिक प्रतिवादी

WD

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज.का. अधि. 1955•

आदेश

निर्णय दिनांक 19/12/25

उपस्थित : वकील वादी दौराने बहस

संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से वकील श्री रामदेव गूर्जर ने उपस्थित होकर एक वाद अन्तर्गत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 **राज.का.अधि.1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि** वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 के पूर्वाधिकारीगण काना पुत्र छोटू है एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी मोडू पुत्र छोटू है। वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 के पूर्वाधिकारी काना पुत्र छोटू एवं प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी मोडू पुत्र छोटू आपस में सगे भाई थे। वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 के पूर्वाधिकारी की स्वअर्जित आराजी ग्राम अंराई पटवार हल्का अंराई के वर्तमान खसरा नम्बर 2826 रकबा 116 बीघा 09 बिस्वा में संयुक्त रूप से निहित हिस्सा था जिसमें अन्य सह–खातेदार भी है वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 के पूर्वाधिकारी काना पुत्र छोटू का 1/4 हिस्सा था उक्त 1/4 हिस्से में से वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 के पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 31.12.1974 को 1/8 हिस्से की भूमि का विक्रय पत्र वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 के पूर्वाधिकारी काना पुत्र छोटू द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी मोडू पुत्र छोटू के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया गया जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया था, तत्पश्चात् मोडू द्वारा अपने जीवन काल में ही दिनांक 24.11.1983 को नामान्तकरण संख्या 517 के तहत उपरोक्त आराजी में निहित हिस्सा 1/8 का सम्पूर्ण बैचान अन्य व्यक्ति नन्दा पुत्र गोदू, हजारी पुत्र तेजू, चन्द्रा पुत्र गोगा सर्व जाति जाट के पक्ष में बैचान करने के बाद राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो गया है जिसके प्रमाण के लिये सम्वत 2041 की वर्किंग जमाबन्दी आधारभूत साक्ष्य हेतु प्रस्तुत की जा रही है एवं वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अनुसार अधिकार अभिलेख में क्रेतागण का इन्द्राज है।प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 का उपरोक्त आराजी में किसी भी प्रकार से कोई हक अधिकार, स्वत्वः निहित नहीं है एवं न ही मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त है फिर भी अधिकार अभिलेख में सहवश में प्रतिवादी संख्या 12 के अधिनस्थ कर्मचारीयों द्वारा त्रुटीवश पुनः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 05 एवं 6 की पत्नि एवं 7 लगायत 11 की पत्नि / माता रामकन्या पुत्री स्व० मोडू का हिस्सा इन्द्राज कर दिया गया है जबकी मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं न ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वाधिकारी मोडू पुत्र छोटु द्वारा बैचान हिस्सा 1/8 करने के पश्चात् कोई शेष हिस्सा नहीं रहता है, फिर भी अधिकार अभिलेख में सहवंश से पुनः प्रतिवादीगण का हिस्सा इन्द्राज किया गया है इस हिस्से का अधिकार अभिलेख से हजब (त्रुटिवंश इन्द्राज) को दुरूस्त कर वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 को संयुक्त रूप से 1/16 का खातेदार घोषित किये जाने हेतु घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के प्रथम अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 का उपरोक्त वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा, अधिकार, स्वत्व निहित नहीं है अधिकार अभिलेख में सहवन से इन्द्राज हो गया है। जबकी उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वाधिकारी का जरिये विक्रय पत्र से 1/8 हिस्सा खरीद किया गया है उस खरीद सम्पूर्ण हिस्से को जरिये विक्रय पत्र से बैचान करने से राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 517 दिनांक 24.11.1983 को इन्द्राज हो गया है इस कारण से उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का कोई भी हिस्सा शेष नहीं रहता है इसकारण त्रुटिवंश राजस्व रिकार्ड में सुधार किया जाकर वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 को पुनः 1/16 हिस्से में खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है।वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 अधिकार अभिलेख में जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के नाम हिस्सा 1/16 इन्द्राज है उस पर काबिज काश्त है प्रतिवादीगण का उपरोक्त हिस्से में कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादी संख्या 5 लगायत 10 के पूर्वाधिकारी देवीलाल का अधिकार अभिलेख में हिस्सा इन्द्राज है जो हिस्सा अलग है देवीलाल के फौत होने से वादीगण 5 लगायत 10 द्वारा वाद पेश किया गया है एवं वादी संख्या 1 का व वादीगण संख्या 5 लगायत 10 के पूर्वाधिकारी (देवीलाल) का संयुक्त रूप से 1/32 हिस्सा इन्द्राज है। जिसमें हिस्से में किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है एवं वादी संख्या 2 व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा अपने निहित हिस्से को पूर्व में बैचान कर दिया गया है एवं वादी संख्या 4 (रामदेव) का सहवन से विरासत काना पुत्र छोटू की तस्दीक की गयी थी उस समय वादी संख्या 4 का नाम सहवन से छुट गया था जिसमें सभी वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 अदा करने के लिये तैयार व तत्पर है। जो वाद डिक्री होने के बाद समस्त वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14, वादी संख्या 4 को पूर्व हिस्सा व वर्तमान में प्राप्त होने वाले हिस्से की तुलना कर अदा करने के लिये तैयार व तत्पर है। वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 के बीच में हिस्से सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 वर्तमान अधिकार अभिलेख में खातेदार रामकन्या पुत्री मोडू

wp

के विधिक वारीसान है रामकन्या के फौत होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 को वाद में बतौर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है एवं औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 को वाद पत्र का व्यय / खर्चा वहन करने में असक्षम होने पर औपचारिक धीमा प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14, प्रतिवादीगण का अधिकार अभिलेख में 1/16 हिस्से पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण का औपचारिक रूप से वर्तमान अधिकार अभिलेख में खातेदार के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 द्वारा उपरोक्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण, रहन व विरासत नामान्तकरण करने पर आमादा है। इसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ताकी अधिकार अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का इन्द्राज हिस्सा 1/16 किसी प्रकार का खुर्द–बुर्द न हो सके।वाद कारण दिनांक 14.03.2019 को जब उत्पन्न हुआ कि वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा तहसील अंराई से वर्किंग जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 को जानकारी हुई कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के पूर्वाधिकारी मोडू पुत्र छोटू द्वारा अपने जीवन काल में ही अपना सम्पूर्ण निहित हिस्सा वैचान कर दिया गया था फिर भी वर्तमान अधिकार अभिलेख में प्रतिवादीगण का नाम इन्द्राज है जिसकी जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दि गयी तत्पश्चात् वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा प्रतिवादीगण को दिनांक 20.03.2016 अर्थात होली के शुभ अवसर पर सभी एकत्रित होकर समझाईश की एवं पुनः 1/16 हिस्सा वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 के नाम करवाने के लिये कहा परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 द्वारा वर्णित हिस्से का वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 के पक्ष में नाम कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तब वादीगण व औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा अपने अधिवक्ता से दिनांक 27.03.2019 को सम्पर्क कर अविलम्ब रूप से यह वाद माननीय योग्य न्यायालय के समक्ष पेश किया हैं एवं औपचारिक प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा वाद पत्र के व्यय / खर्चा वहन करने में असक्षम होने के कारण उसे औपचारिक प्रतिवादी के रूप में पक्षकार कायम किया जाकर उपरोक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है जो वाद कारण निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 12 व 13 राज्य सरकार के अधिनस्थ अधिकारी है। जो घोषणात्मक वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. के तहत 2 माह का नोटिस देना अनिवार्य है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र वाद पत्र के साथ वाद अनुमति चाहने बाबत् अलग से पेश किया जा रहा है।

पत्रावली दिनांक 8.4.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया । दिनांक 5.7.2019 को तामिलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए । दिनांक 20.10.2023को प्रतिवादी 01 लगायत 11 व 14का जवाब बन्द कर एकपक्षीय कार्यवाही की गई । एवं तहसीलदार अराई को मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई । दिनांक 7.11.2025 को पेरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ । तथा वादी साक्ष्य लिए गए । तहसीलदार की मौका जांच रिपोर्ट अनुसार तथा **पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड अनुसार वाद पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम अराई, पटवार हल्का अराइ, तहसील अराई में खसरा नं0 2826 रकबा 18.8416 हैक्टैयर, में सहवन से दर्ज मोडू पुत्र छोटू जाति कुम्हार का 1/16 हिस्सा उनके वारिसान ताराचन्द पुत्र मोडू, नाथी पुत्री मोडू, प्रभाती पुत्री मोडू, रामकन्या पुत्री मोडू, शंकर पुत्र मोडू, सत्यनारायण पुत्र मोडू, का सम्पूर्ण हिस्सा विलोपित होकर काना पुत्र छोटू जाति कुम्हार के विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया जाने के आदेश किये जाते है । तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वे उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।**

आदेश आज दिनांक 19.12.25........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर व मुहर के खुले न्यायालय में सुनाया गया। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दफतर दाखिल हो।

WD

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)